



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1037]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 1037]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1595(अ).**— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1335 (अ) द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2017 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी 27 अक्तूबर, को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 2017 में —

(क) नियम 3 के उपनियम (1) में “प्ररूप 1 में” शब्दों और अंकों से स्थान पर “कतिपय श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप 13 में” शब्द और अंक रखे जाएंगे

(ख) नियम 56 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

“56 प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय विधि नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप 14 में आनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से वह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पहले फाइल करेगा”;

(घ) प्ररूप 23 और प्ररूप 24 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एल डबल्यू (ए) (iii)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)

**टिप्पणी :** अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ) द्वारा तारीख 11 अगस्त, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 294 (अ) द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

**G.S.R. 1595(E).**—Whereas, a draft of certain rules further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, was published, as required by sub-section (1) of section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1335 (E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27<sup>th</sup> October, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 2017,-

(a) in rule 3, in sub-rule (1), for the words and figure “in Form I”, the words and figures “in Form XIII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;

(b) for rule 56, the following rule shall be substituted, namely:—

“56. Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.”;

(c) Form XXIII and Form XXIV shall be omitted.

[No. S-16011/04/2017-LW (A)(iii)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-General (Labour Welfare)

**Note:** The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 514(E), dated 11<sup>th</sup> August, 1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 294(E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2017.